न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

नामान्तरकरण अपील संख्या :– 02/2021

अपीलकर्ता

देवाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम असाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. ग्राम पंचायत मिठौडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मिठौडा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

नामान्तरकरण संख्या 3905 सरंपच ग्राम पंचायत मिठौडा दिनांक 20.08.2021 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री कैलाशपुरी अपीलान्ट अधिवक्ता
2. रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 06.06.2022

प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 213 व 306 रकबा 05.6089 व 01.2302 हैक्टयर सरहद मौजा मिठौडा में आया हुआ है जिसमें अपीलकर्ता के हकपुर्वाधिकारी कालूराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी मिठौडा की संयुक्त खातेदारी का 1/3 हिस्सा था उक्त कालूराम पुत्र कुम्भाराम ने अपना हक हिस्सा अपीलान्ट के पक्ष में जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचाननामा दिनांक 28.06.2021 को उपपंजीयक कार्यालय सिवाना में अपीलान्ट के हक में पंजीबद्ध करवाया गया उक्त पंजीबद्व दस्तावेज हल्का पटवारी मिठौडा को आवश्यक अलमलदरामद हेतु प्रस्तुत की जिस पर हल्का पटवारी मिठौडा व भू.अभिलेख धारणा द्वारा मौका जांच कर नामान्तरकरण संख्या 390519.08.2021 भर कर रेस्पोडेन्ट संख्या एक ग्राम पंचयायत मिठौडा के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट सांख्या 01 द्वारा बिना कोई वजह दिनांक 20.08.2021 को अस्वीकृत कर खारिज कर दिया। रेस्पोडट संख्या 01 द्वारा बिना कोई वजह दिनांक 200.08.2021 को अस्वीकृत कर खारिज कर दिया । रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने इस तरह गैर कानूनी अवैध व कानूनी एवं न्याय की दृष्टि से भारी भूल की है जो काबिल अपास्त के है। रेस्पोडेन्ट ने नामान्तकरण खारिज कराने से पूर्व न तो अपीलकर्ता को कोई नोटिस दिया न ही कोई सूचना दी बिना सुनवाई को अवसर दिये उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया। उक्त भूमि कालुराम पुत्र कुम्भाराम मेघवाल निवासी मिठौडा की खातेदारी कब्जा काश्त की थी, तथा कालुराम पुत्रद कुम्भाराम मेघवाल निवासी मिठोडा से अपीलकर्ता को

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दिनांक 28.06.2021 को उप पंजीयन कार्यालय सिवाना मे जरिये पंजीकृत बेचान इसी वादग्रस्त भूतम के शेष सभी खातेदारान की सहमति से किया गया, उक्त पंजीकरण दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण खोलना था लेकिन रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामान्तकरण अस्वीकार कर न्याय की दृष्टि से भूल की है विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब रजिस्ट्रर्ड विक्रेय विलेख है तो नामान्तरकरण खोलने के अलावा ग्राम पंचायत के पास अन्य कोई विकल्प नही रहता है अर्थात ग्राम पंचायत को पंजीकृत विकय विलेख की विधि मान्यता व वेधता को प्रश्नगत करने का कोई अधिकार नही है ग्राम पंचायत को मात्र उक्त पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर अपीलकर्ता के हक में नामान्तरकरण पारित करना था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अवैध व अनुचित तरीके से तानाशाही रवेया अपना कर उक्त पंजीकृत दस्तावेजात को विधि मान्यता को चुनौती देकर खारिज कर दिया गया जो कि कानूनन अवैध अनुचित होने से अपास्त योग्य है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया

रेस्पोडेन्ट का नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये माफिक इस्तदुआ अनुसार अपील स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत मिठौडा द्वारा नामान्तकरण संख्या 3905 को अपास्त किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अपीलकर्ता वकील की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का गहराई से अवलोकन व मनन किया। बाद अध्ययन यह ज्ञात हुआ है कि अपीलकर्ता द्वारा ग्राम मिठौडा के खेत खसरा संख्या 213 व 306 रकबा 05.6089 व 01.2302 हैक्टयर भूमि में 1/3 हिस्से के खातेदार कालूराम पुत्र कुम्भाराम मेघवाल निवासी मिठौडा से सम्पूर्ण हिस्से उप पंजीयक सिवाना में पंजीबद्व दस्तावेज संख्या 202103096100842 दिनांक 28.06.2021 को खरीद किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 3905 दिनांक 19.08.2021 को पटवारी हल्का मिठौडा द्वारा भरा गया जिस पर ग्राम पंचायत मिठौडा द्वारा खसरा संख्या 213 व 306 सहखातेदारी की भूमि है बिना सक्षम न्यायालय अधिकारी से भूमि विभाजन की स्वीकृति प्राप्त किये सहखातेदारी भूमि मे से किसी एक सहखतोदार द्वारा सिर्फ व हिस्सा बेचान किया जा सकता जबकि बेचाननामा में कालूराम द्वारा नक्शा दर्शाते हुए भूमि के भाग विशेषकर बेचान किया गया है जो कानूनी गलत है के टिप्पणी करते हुये हस्तगत नामान्तकरण का खारिज कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात विक्रेय विलेख

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

संख्या संख्या 202103096100842 दिनांक 28.06.2021 का अवलोकन करने पर पाया गया है उक्त विक्रय विलेख पर खसरा संख्या 213 व 306 के खातेदारो द्वारा उपपंजीयक सिवाना के समक्ष पेश होकर खातेदार कालूराम के 1/3 हिस्से बेचान किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई है नामान्तरकरण संख्या 3905 दिनांक 19.08.2021 का अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पटवारी हल्का मिठौडा द्वारा विक्रेय विलेख अनुसार ही अपीलकर्ता का हिस्सा दर्ज किया गया है,जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रूटि नहीं है,ग्राम पंचायत मिठौडा द्वारा अपने क्षेत्राधिकारी से बाहर जाकर उक्त नामान्तकरण का खारिज किया गया है, जिसे अपास्त किया जाने न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार स्वीकार की जाकर तहसीलदार सिवाना को प्रतिप्रेषित की जाती है कि ग्राम मिठौडा के खेत खसरा संख्या 213 व 306 रकबा 05.6089 व 01.2302 हैक्टयर भूमि में 1/3 हिस्से के खातेदार कालूराम पुत्र कुम्भाराम मेघवाल निवासी मिठौडा द्वारा किये गये बेचान दस्तावेज अनुसार अपीलकर्ता के पक्ष में पुनः नामान्तरकरण खोलकर स्वीकृत करने की कार्यवाही करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना (बाड़मेर)